Total No. of Questions : 10] [Total No. of Printed Pages : 7

Paper Code : 12701

L-101

LL. B. (Three Years) (First Semester) Examination, 2021

Paper First

CONSTITUTIONAL LAW - I

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 90*

Note : Attempt **five** questions in all. **All** questions carry equal marks. Question **No.1** is compulsory.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

1. (a) "No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it has extra-territorial operation outside of India". Explain it with illustrations and decided cases.

"संसद द्वारा बनायी गयी कोई विधि इस आधार पर अवधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि उसका भारत के बाहर राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन है।" उदाहरणों एवं निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

(b) If the Parliament and the State Legislature both has made a law on a subject of concurrent list and there is inconsistency between these laws; then which law will be operative?
यदि संसद और राज्य की विधायिका दोनों ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि बनायी है और उन विधियों के बीच असंगतता है; तब कौन सी विधि प्रभावी होगी?

2. What is the constitutional scheme of distribution of legislative powers between the Union and the States? Is this scheme tilted towards the Union legislature? Discuss it with relevent provisions.

केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण की संवैधानिक योजना क्या है? क्या यह योजना संघीय, विधायिका के पक्ष में झुकी हुई है? सुसंगत प्रावधानों के साथ विवेचना कीजिए।

3. How would you classify the constitution of India, federal or unitary? Do you agree with this statement that 'Co-operative Fedralism' is infact coercive fedralism. Discuss.
आप भारत के संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, संघात्मक या एकात्मक? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि 'सहकारी संघवाद' वास्तव में एक प्रपीड़क संघवाद है। विवेचना कीजिए।

4. What are the differences between the Private Bill and Government Bill. Discuss the constitutional provisions as to introduction and passing of an Ordinary Bill by Parliament.
गैर सरकारी एवं सरकारी विधेयक में अंतर क्या है? एक साधारण विधेयक को पेश किये जाने तथा संसद द्वारा पारित किये जाने सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

5. "The executive power of Union is not Co-extensive to the legislative power of the Union." Is this statement true? Discuss it with relevent provisions of the Constitution of India.

"संघ की कार्यपालक शक्तियाँ, संघ की विधायी शक्तियों के सहविस्तारी नहीं है।" क्या यह कथन सत्य है? भारत के संविधान के सुसंगत प्रावधानों सहित विवेचना कीजिए।

6. In the light of the Supreme Court decision in S.R. Bommai Vs. Union of India (1994) determine the circumstances and conditions subject to which President could act under Article 356 of the Constitution.

उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में दिये गये निर्णय के आलोक में उन परिस्थितियों और शर्तों का निर्धारण कीजिए जिनमें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही कर सकता है।

7. "Legislative Powers of the president is no higher and no lower than that of the law-making Power of the Parliament." Discuss.

"राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संसद की विधि बनाने की शक्ति से न तो कम है और न ही अधिक है।" विवेचना कीजिए।

8. "Trade, Commerce and itercourse throughout the territory of India shall be free". Explain it with exceptions.

"भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।" अपवादो सहित इसकी व्याख्या कीजिए।

9. "The preamble of the Constitution of India declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic." Explain the statement in detail.

"भारत के संविधान की उद्देशिका यह घोषणा करती है कि भारत एक प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।" विस्तार सहित व्याख्या कीजिए।

10. Write short notes on any **three** of the following:

निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Doctrine of Pith and substance

सार एवं तत्व का सिद्धान्त

(ii) President power to grant reprieves and remissions of punishment

राष्ट्रपति को दण्ड के प्रविलम्बन और परिहार करने की शक्ति

(iii) Attorney General of India

भारत का महान्यायवादी

(iv) Joint Parliamentary Committee

संयुक्त संसदीय समिति

(v) Election Commission

चुनाव आयोग।